विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-06/19

श्री सतीश दिनेश ईजारदार, — **आवेदक**
ग्राम कैलोद, तह0 महू,
जिला – इंदौर (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (सं./सं.) संभाग, — **अनावेदक**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
महू, जिला – इंदौर (म0प्र0)

आदेश
(दिनांक 24.09.2019 को पारित)

01. श्री सतीश दिनेश ईजारदार, ग्राम कैलोद, तह0 महू, जिला – इंदौर (म0प्र0) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा जारी प्रकरण क्रमांक W0 411318 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2018 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक – 03.06.2019 सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

02. विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–06/19 में दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03. विद्युत लोकपाल कार्यालय में इस प्रकरण के तहत दिनांक 23.07.2019 को सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से श्री संजय अग्रवाल एवं श्री दिनेश छोगालाल, उपभोक्ता प्रतिनिधि उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्री गोविंद सिंह ठाकुर, कनिष्ठ यंत्री तथा श्री चेतन बांगर, कार्यालय सहायक ग्रेड–3, (संचा./संधा.) देवास उपस्थित ।

04. आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन एवं साथ में संलग्न अन्य दस्तावेजों यथा – फोरम के पत्र क्रमांक 134 दिनांक 16.02.2019, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के पृष्ठ 20 की छायाप्रति, जनवरी 2016 से सितम्बर 2018 तक की अवधि के मासिक विद्युत बिलों के विवरण संबंधी पत्रक, फोरम का आदेश दिनांक 07.07.2018 की प्रतियां संलग्न की है । प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण का विवरण इस प्रकार है –

''आवेदक का 5 हा0पा0 स्वीकृत भार का गैर–घरेलू अस्थाई विद्युत कनेक्शन ग्राम पंचायत कैलोद में लिया गया है, जिसका संयोजन विच्छेदन के बाद भी अनावेदक द्वारा बिल जारी किया गया, बिल नहीं भरने पर घरेलू संयोजन काटकर जबरन अस्थाई संयोजन के बिल भरवाए गए । इस संबंध में आवेदक ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र में शिकायत की जो कि फोरम में प्रकरण क्रमांक W0 411318 पर दर्ज की जाकर प्रकरण में दिनांक 07.07.2018 को आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसार अनावेदक द्वारा आवेदक के अस्थाई कनेक्शन फरवरी 2017 में विच्छेदन किए जाने के बाद माह फरवरी 2017 से अप्रैल 2018 तक की बिलिंग अवास्तविक होने के कारण अपास्त कर तद्नुसार संशोधित टैरिफ मिनिमम अधिभार हटाए जाने तथा संयोजन की बिलिंग विधिक प्रावधानों के अनुसार Law of Limitation के अनुरूप अधिकतम 3 वर्षों की ग्रामीण विद्युत दर किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया । आवेदक ने अपने लिखित अभ्यावेदन में निम्न आपत्ति प्रस्तुत की है ।

<u>आदेश पर आपत्ति :–</u>

(i) संयोजन अस्थायी श्रेणी का है । अस्थायी श्रेणी के संयोजन केवल अग्रिम भुगतान पर ही चालू रह सकते हैं । अतः संयोजन काटने के बाद मिनिमम बिलिंग करने का जो आदेश माननीय फोरम के द्वारा दिया गया है वह विधि अनुसार नहीं होने से निवेदन है कि निरस्त किया जावे ।

(ii) बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार परिवादी का संयोजन ग्राम कैलोद में स्थित होने से परिवादी के संयोजन की बिलिंग विधीक प्रावधान के अनुसार किए जाने संबंधी कथन का खण्डन विपक्ष द्वारा नहीं किए जाने के कारण परिवादी के संयोजन की

बिलिंग विधीक प्रावधान के अनुसार ला आफ लिमिटेशन के अनुरूप अधिकतम 3 वर्षों की ग्रामीण विद्युत दर पर पुनरक्षित की जावे ।

आदेश पर आपत्ति :– महोदय चूंकि व्यापारिक लेन देन नहीं होने से इसमें 3 साल की ला आफ लिमिटेशन लागू नहीं होती है । जिस समय विधि विपरीत वसूली की जानकारी लगी है, उस समय से लेकर जब से विधि विपरीत वसूली की गई है ऐसी समस्त गलत वसूली वापसी योग्य है । अतः जब से गलत वसूली की गई है, वापस कराने का निवेदन है ।

महोदय इसके अतिरिक्त अन्य तथ्य जो कि विपक्ष ने भी माननीय फोरम में कहे हैं, जिस पर माननीय फोरम के द्वारा निर्णय करते समय ध्यान नहीं दिए जाने की चूक हुई है ।

05. फोरम के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर माननीय विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, जिसमें माननीय लोकपाल महोदय से निम्नानुसार राहत चाही गई है :–

01) अनावेदक द्वारा 4000 युनिट का जो बिल दिया गया है, वह गलत बिल है ।

02) जब तक संयोजन का अग्रिम भुगतान जमा था, तब तक के बिल के बाद जारी समस्त बिल निरस्त किए जावे ।

03) अनावेदक के द्वारा हमारे परिसर से जब प्रथम बार बिल अप्रेल/16 में बकाया हुआ था उसी समय से संयोजन काट दिया गया था । उसके बाद जारी समस्त बिल फाल्स/गलत बिल जारी किए गए हैं । जैसा कि अगस्त/16 में 4000 युनिट का गलत बिल जारी किया गया है ।

04) अनावेदक द्वारा हमारे घर की बिजली बार–बार काट कर अप्रैल/16 के बाद के 12000, 13400, 5000, 4000 कुल रू0 34,400/– जबरन भराए गए हैं, वह वापस दिलाए जावे ।

05) रू0 34400/– के अलावा माननीय फोरम के द्वारा आदेशानुसार ग्रामीण दर से बिलिंग कर, जो राशि होती है

06. आवेदक श्री सतीश दिनेश ईजारदार, ग्राम कैलोद, तह0 महू, जिला – इंदौर (म0प्र0) ने अपने लिखित अदिनांकित अभ्यावेदन से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0 411318 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है, जो दिनांक 03.06.2019 को प्राप्त की जाकर प्रकरण क्रमांक एल00–06/19 में दर्ज की गई तथा उभय पक्षों को सुनवाई दिनांक 14.06.2019 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचना–पत्र जारी किया गया । दिनांक 14.06.2019 की सुनवाई में उभयपक्षों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 25.06.2019 नियत की जाकर तत्संबंध में उभयपक्षों को सूचना–पत्र जारी किया गया । दिनांक 25.06.2019 को आयोजित सुनवाई में भी उभयपक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रकरण की सुनवाई बढ़ाते हुए अगली सुनवाई दिनांक 08.07.2019 को नियत की गई । दिनांक 08.07. 2019 को आयोजित सुनवाई में भी उभयपक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रकरण की सुनवाई बढ़ाते हुए अगली सुनवाई दिनांक 23.07.2019 को नियत की जाकर तत्संबंध में उभयपक्षों को सूचना–पत्र जारी किया गया ।

07. प्रकरण का अवलोकन के दौरान प्रकरण में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा दिनांक 07.07.2018 को आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक – निरंक विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो कि दिनांक 03.06.2019 को प्राप्त हुई । विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009''** की कण्डिका 3.36 का तथा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर – उज्जैन क्षैत्र के निर्णय दिनांक 07.07.2018 के अनुसार पुनरीक्षित बिल की राशि का आवेदक द्वारा भुगतान न किए जाने के संबंध में कण्डिका 3.37 का अवलोकन किया, जो निम्नानुसार है :–

''3.36 यदि शिकायतकर्ता, फोरम के आदेश या शिकायत के निराकरण न किये जाने से व्यथित है, तो वह अंतिम आदेश या फोरम द्वारा शिकायत निवारण हेतु अधिकथित अवधि की

समाप्ति से साठ दिवस के भीतर परिशिष्ट में निर्धारित प्ररूप में आयोग द्वारा नियुक्त/नामोद्दिष्ट विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन दे सकेगा ।

बशर्ते यह कि विद्युत लोकपाल अभ्यावेदन को साठ दिवस की अवसान अवधि के उपरान्त 60 दिवस से अनाधिक अवधि के भीतर अभ्यावेदन को ग्रहण कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट है तथा कारण लिखते हुए अभिलेखित करता है कि व्यथित व्यक्ति के पास अभ्यावेदन कथित साठ दिवस की अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण विद्यमान थे ।''

''3.37 विद्युत लोकपाल के पास कोई भी अभ्यावेदन दर्ज नहीं होगा जब तक कि उपभोक्ता विहित रीति में, फोरम के आदेश के निबंधनों के अनुसार वह देय राशि का कम से कम आधी राशि का भुगतान न कर दे जो कि फोरम द्वारा जारी आदेश के अनुसार होगी तथा फोरम द्वारा शिकायत का निराकरण न होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयकों के अनुसार देय राशि हो तथा उसका अभ्यावेदन सफल न होने की दशा में उसके द्वारा बकाया राशि पर अधिभार का भुगतान किये जाने हेतु सहमति व्यक्त कर दी गई हो ।

08. विद्युत लोकपाल ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील एवं दस्तावेजों तथा उनके कथन की उक्त कण्डिका 3.36 एवं 3.37 के परिप्रेक्ष्य में सुक्ष्मता एवं सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई । समीक्षा में देखा गया कि उक्त कण्डिका 3.36 के अनुसार फोरम के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय विद्युत लोकपाल को अपील प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि फोरम के आदेश दिनांक से 60 दिवस थी जो 05.09.2018 को समाप्त हो चुकी थी एवं इस अवधि के बाद भी अपील प्रस्तुत करने में आवेदक द्वारा 271 दिवस का विलंब किया गया । प्रस्तुत अपील के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें ऐसी कोई विशेष सूचना अथवा इसके साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि उस सूचना/दस्तावेज को तैयार करने/प्राप्त करने में आवेदक को विशेष प्रयास करने पड़े हों जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत करने में आवेदक द्वारा हुए विलंब को न्यायसंगत माना जा सके । आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत करने में माननीय विद्युत नियामक आयोग के संबंधित विनियमन 2009 में निर्धारित समयावधि के पश्चात् अप्रत्याशित विलंब के लिए कोई उचित व ठोस कारण नहीं बताया गया है । चूंकि माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत**

लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009'' में फोरम के आदेश के विरूद्ध फोरम में पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः आवेदक द्वारा फोरम को पुनर्विचार याचिका दायर किया जाना तथा इसके आधार पर विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में निर्धारित अवधि से अधिक हुए विलंब को उचित ठहराना स्वीकार नहीं है । इसके साथ ही उक्त विनियम 2009 की कण्डिका 3.37 के अनुसार विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के पूर्व फोरम के आदेश दिनांक 07.07.2018 के अनुपालन में पुनरीक्षित किए गए बिल की राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत भुगतान किए जाने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कण्डिका 3.37 का स्पष्ट उल्लंघन है ।

09. उपरोक्त तथ्यात्मक समीक्षा के आधार पर विद्युत लोकपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आवेदक ने बिना किसी ठोस व उचित कारण माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009''** की कण्डिका 3.36 के अनुपालन में विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करने में तथा कण्डिका 3.37 के अनुपालन में अपील प्रस्तुत करने के पूर्व लंबित देय राशि की न्युनतम 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करने में आवेदक पूरी तरह से विफल रहा है । अतः आवेदक की अपील खारिज कर प्रकरण समाप्त किया जाता है । उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

10. उभयपक्षों को सूचना प्रेषित की जाए तथा फोरम का अभिलेख वापस हो ।

विद्युत लोकपाल